रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1689] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2016/आषाढ़ 15, 1938
No. 1689] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2016/ ASADHA 15, 1938

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
आदेश
नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2016

का.आ. 2322(अ).— केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि कोई लोक सेवक वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट 'आय-कर घोषणा स्कीम, 2016' के अधीन किए गए किसी विधिमान्य घोषणा के संबंध में शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उसके कब्जे में आने वाले किसी ऐसे दस्तावेज या अभिलेख या कोई जानकारी या कंप्यूटरीकृत डाटा या उसके किसी भाग को किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेगा ।

[अधिसूचना सं. 56/2016, फा.सं.142/8/2016-टीपीएल]

डा. टी. एस. मेपवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
ORDER
New Delhi, the 6th July, 2016

S. O. 2322(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 138 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government having regard to all the relevant factors, hereby directs that no public servant shall produce before any person or authority any such document or record or any information or computerised data or part thereof as comes into his possession during the discharge of official duties in respect of a valid declaration made under 'the Income Declaration Scheme, 2016', contained in Chapter IX of the Finance Act, 2016 (28 of 2016.

[Notification No. 56/2016, F. No. 142/8/2016-TPL]

Dr. T. S. MAPWAL, Under Secy.

3401 GI/2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.